परिमंडल स्टाफ कल्याण बोर्ड/ CSWB कार्यालय : मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार O/o THE CHIEF GENERAL MANAGER TELECOM मध्यप्रदेश परिमंडल भोपाल (मप्र) पिन- 462015 MP CIRCLE, BHOPAL (MP) PIN 462015		भारत संचार निगम लि (भारत सरकार का उ BHARAT SANCHAR NIGAM LIMIT (A GOVT OF INDIA ENTERPRIS

क्रमांक : डब्ल्यूएल/ परिमंडल स्टाफ कल्याण बोर्ड/ भोपाल, दिनांक 25/11/2021

प्रति,

- समस्त बीए प्रमुख
- समस्त ओए प्रमुख

मध्यप्रदेश परिमंडल

विषय : मृतक अधिकारियों-कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारी को सहायता राशि के भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत परिमंडल कार्यालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि अनेक मृतक अधिकारियों-कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारी को सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :

1- मृतक अधिकारी कर्मचारी यदि हितकारी निधि का सदस्य रहा है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को हितकारी निधि से सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। 31 मार्च 2021 के पूर्व मृत्यु होने पर रु 20000/- और 01 अप्रैल 2021 के बाद मृत्यु होने पर रु 25000/- की सहायता राशि का भुगतान परिमंडल हितकारी निधि समिति के द्वारा विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। इसके लिए संबन्धित कार्यालय में उपलब्ध सेवा अभिलेख से जांच करके विधिक उत्तराधिकारी का व्यक्तिगत और बैंक खाता विवरण संलग्न प्रपत्र में भर कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजा जाए। इसके साथ कोई दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि आदि न भेजे जाएं।

2- प्रत्येक मृतक अधिकारी कर्मचारी उसके विधिक उत्तराधिकारी को कल्याण कोष से रु 20000/- सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए संबन्धित कार्यालय के द्वारा उपरोक्त (1) में संलग्न प्रपत्र की प्रतिलिपि अपने बीए कार्यालय को प्रेषित की जाए। इसके साथ कोई दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि आदि न भेजे जाएं। संबन्धित बीए कार्यालय द्वारा विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में इस राशि का सीधे भुगतान किया जाएगा।

3- यदि अधिकारी/ कर्मचारी की मृत्यु कोविड के कारण हुई है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को निगमित कार्यालय के बीएसएनएल कोरोना फंड से रु 10 लाख की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए सेवा अभिलेख से आवश्यक पुष्टि करने के बाद निर्धारित प्रपत्र को विधिवत भर कर व आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके अधोहस्ताक्षरकर्ता को अग्रेषित करें।

4- यदि अधिकारी-कर्मचारी ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का सदस्य रहा है तो दावा प्रपत्र के साथ उसकी माह फरवरी-2021 की पे स्लिप, कर्मचारी/अधिकारी व उसके विधिक उत्तराधिकारी के आधार कार्ड की प्रतिलिपि, कर्मचारी/अधिकारी व उसके विधिक उत्तराधिकारी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि, विधिक उत्तराधिकारी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि तथा निरस्त चेक संलग्न करके अधोहस्ताक्षरकर्ता को अग्रेषित करें।

5- एजीक्स्यूटिव निधन सहायता कोष तथा नॉन एजीक्यूटिव निधन सहायता कोष से संबन्धित प्रकरणों में इन दोनों समितियों की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सहायक महाप्रबंधक (कल्याण)
मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल